



कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर-342001

email- jdajodhpur@yahoo.com वेब-साईट jodhpurjda.org Phone No 0291-2612086/265635-7 Fax 0291-2612086

क्रमांक: F37(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2020/ 159

दिनांक:- 13/08/2020

कार्यवाही विवरण:-

विषय:- भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 03/2020 वीं बैठक दिनांक 28.07.2020 को आयुक्त महोदय, जोधपुरा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, इसमें प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श किया जाकर निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट-“1” पर है।

एजेण्डा संख्या 1 :- (28.07.2020)

विषय :- भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 02/2020 वीं बैठक दिनांक 06.03.2020 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।

निर्णय :- समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त गत बैठक के कार्यवाही विवरण की सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी।

एजेण्डा संख्या 2 :- (28.07.2020) जोन-पूर्व

विषय :- राजस्व ग्राम बनाड के खसरा संख्या 566/3/4 रकबा 4172.67 वर्गगज के आवासीय एकल पट्टे के उपविभाजन बाबत।
आवेदक :- श्री सोहनलाल पुत्र श्री नैनाराम।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. भूखण्ड संख्या 01 व 14 एवं प्लान्टेन्शन/पार्क क्षेत्र के मध्य 10 फीट का पाथ-वे छोड़ा जाना होगा।
2. योजना में आन्तरिक विकास हेतु मानदण्डों एवम् नियमों की पालना राजस्थान टाउनशिप पोलिसी 2010 के प्रावधान के तहत सुनिश्चित किया जायेगा। नियमानुसार उपविभाजन शुल्क एवं अन्य देय शुल्क जमा करवाये जाने होंगे।
3. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने हैं जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।
4. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावें।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही अग्रिम कार्यवाही की जावे।

एजेण्डा संख्या 3 :- (28.07.2020) जोन-पूर्व

विषय :- राजस्व ग्राम बनाड के खसरा संख्या 452 व 452/2 रकबा 08.04.00 बीघा के पर्यटन इकाई (रिसोर्ट) प्रयोजनार्थ एकल भूखण्ड अनुमोदन बाबत।
आवेदक :- श्रीमती तरुणा चौहान पत्नि श्री मोतीलाल चौहान।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि जयपुर-जोधपुर रोड पर स्थित है। जिसका मास्टर प्लान अनुसार मार्गाधिकार 200 फीट एवं तत्पश्चात 100-100 वृक्षारोपण पट्टी हेतु आरक्षित रखा जाना है। अतः सडक मार्गाधिकार हेतु मौके पर स्थित सडक की मध्य रेखा से 100 फीट (गहराई तक) भूमि प्रार्थी से

जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावें।

2. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 12.04.2018 के अनुसार 05 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र की एवज में नियमानुसार राशि जमा करवायी जावें।
3. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि में से विद्युत लाईने गुजर रही है जिनकी क्षमता के संबंध में रिपोर्ट ली जाकर नियमानुसार सेफ्टी कोरीडोर छोड़ते हुये ले-आउट प्लान जारी किया जावें।
4. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व एकीकृत भवन विनियम 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।

एजेण्डा संख्या 4 :- (28.07.2020) जोन-पूर्व

विषय :- राजस्व ग्राम नान्दडा कलां के खसरा संख्या 270/3 व 270/4 रकबा 12.02.00 बीघा के आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।

आवेदक :- श्री सत्यनारायण कट्टा पुत्र श्री अनन्तराम कट्टा।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदक द्वारा प्रस्तुत ले-आउट प्लान में दर्शित वाणिज्यिक क्षेत्र के अन्तर्गत नियमानुसार ईन्फोर्मल शॉप्स का प्रावधान किये जाने के उपरान्त ले-आउट प्लान जारी किया जावें।
2. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।
3. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावें।
4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।

एजेण्डा संख्या 5 :- (28.07.2020) जोन-पूर्व

विषय :- राजस्व ग्राम गुडा विश्नोईयान के खसरा संख्या 354/5 रकबा 07.05.00 बीघा में से 01.09.00 बीघा के पेट्रोल पम्प एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।

आवेदक :- श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री सुरजाराम।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. मास्टर प्लान अनुसार सडक मार्गाधिकार 200 फीट आरक्षित रखा जावें तथा राज्य सरकार के आदेश दिनांक 20.04.2017 के अनुसार पेट्रोल पम्प के लिए आवश्यक गहराई के पश्चात् 100 फीट गहराई की वृक्षारोपण पट्टी आरक्षित की जावें। उक्त सडक मार्गाधिकार हेतु मौके पर स्थित सडक की मध्य रेखा से 100 फीट (गहराई तक) भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावें।
2. राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 07.03.2018 के अनुसार संबंधित एजेन्सी (पीडब्ल्यूडी) से अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
3. प्रकरण में प्रश्नगत भूमि के पीछे राज्य सरकार के आदेश दिनांक 20.04.2017 के अनुसार 100 फीट गहरी वृक्षारोपण पट्टी का प्रावधान किया जाना अपेक्षित है। तदनुसार मानचित्र आवेदक

से लिया जावे। तत्पश्चात् उक्त वृक्षारोपण पट्टी के क्षेत्रफल को जोड़ते हुये संशोधित 90-क की कार्यवाही जोन द्वारा की जाकर ले-आउट प्लान जारी किया जावे।

4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व एकीकृत भवन विनियम 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 6 :- (28.07.2020) जोन-पूर्व

विषय :- राजस्व ग्राम डांगियावास के खसरा संख्या 262/5 रकबा 02.10.00 बीघा में से 00.10.7.5 बीघा के पेट्रोल पम्प एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।
आवेदक :- श्री बीरबल पुत्र श्री भंवरलाल।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. मास्टर प्लान अनुसार सड़क मार्गाधिकार 200 फीट रखा जावे तथा उक्त सड़क मार्गाधिकार हेतु मौके पर स्थित सड़क की मध्य रेखा से 100 फीट (गहराई तक) भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
2. राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 07.03.2018 के अनुसार संबंधित एजेन्सी एन.एच.ए. आई/पीडब्ल्यूडी से अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
3. प्रकरण में प्रश्नगत भूमि के पीछे राज्य सरकार के आदेश दिनांक 20.04.2017 के अनुसार पेट्रोल पम्प के लिए आवश्यक गहराई के पश्चात् भूखण्ड के पीछे 100 फीट गहरी वृक्षारोपण पट्टी का प्रावधान किया जाना अपेक्षित है। तदनुसार मानचित्र आवेदक से लिया जावे तत्पश्चात् उक्त वृक्षारोपण पट्टी के क्षेत्रफल को जोड़ते हुये संशोधित 90-क की कार्यवाही जोन द्वारा की जाकर ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व एकीकृत भवन विनियम 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 7 :- (28.07.2020) जोन- पूर्व

विषय :- राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 15/8 रकबा 14.15.05 बीघा में से 05.09.00 के आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।
आवेदक :- श्री संतोषराम पुत्र श्री गोपाराम।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. प्रकरण में नगरीय विकास विभाग के पत्र दिनांक 22.11.2016 के परिपेक्ष्य में आवेदित भूमि सभी दिशाओं में अनुमोदित योजना/एकल पट्टा के बीच में होने के कारण व मुख्य सड़क से अन्य कोई 40 फीट चौड़ा पहुँच मार्ग नहीं होने की स्थिति में आवेदित भूमि के दक्षिण दिशा में पूर्व में खसरा संख्या 15/3, 21 एवम् 23/1 पर अनुमोदित योजना में स्थित सड़क चौड़ाई 40 फीट (जो कि मुख्य सड़क की तरफ 30 फीट चौड़ाई में है) से पहुँच मार्ग मानते हुए अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया।
2. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।

3. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावें।
4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।

एजेण्डा संख्या 8 :- (28.07.2020) जोन-पूर्व

विषय :- राजस्व ग्राम ढण्ड के खसरा संख्या 21 रकबा 05.15.00 बीघा में से 4382.52 वर्गमीटर के आवासीय एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।
आवेदक :- श्री रामदयाल पुत्र श्री तुलसीराम।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि पर मौके पर बिना स्वीकृति निर्माण किया गया है। मौके पर किये गये निर्माण के प्रार्थी से विस्तृत भवन मानचित्र प्राप्त कर कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा मौका रिपोर्ट करवाने के उपरान्त बिना स्वीकृति के किये गये निर्माण के संबंध में राज्य सरकार के आदेश दिनांक 03.07.2020 अनुसार कार्यवाही करते हुये नियमानुसार राशि वसूल की जावें।
2. सुविधा क्षेत्र हेतु नियमानुसार 5 प्रतिशत भूमि छोड़ी जानी होगी अथवा सुविधा क्षेत्र की एवज में नियमानुसार राशि जमा करवायी जावें।
3. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व एकीकृत भवन विनियम 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।
4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।

एजेण्डा संख्या 9 :- (28.07.2020) जोन-पूर्व

विषय :- राजस्व ग्राम खेजडली कला के खसरा संख्या 359/3 रकबा 29.00.00 बीघा के पर्यटन इकाई (रिसोर्ट) एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।
आवेदक :- श्री देवेन्द्र विश्णोई पुत्र श्री हरीराम विश्णोई।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. भूमि स्टेट हाईवे पर स्थित है, जिसका मास्टर प्लान अनुसार सड़क मार्गाधिकार 200 फीट एवं तत्पश्चात 100-100 वृक्षारोपण पट्टी हेतु आरक्षित रखा जाना है। अतः सड़क मार्गाधिकार हेतु मौके पर स्थित सड़क की मध्य रेखा से 100 फीट (गहराई तक) भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावें।
2. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि में से एच.टी. लाईन गुजर रही है जिनकी क्षमता के संबंध में रिपोर्ट ली जाकर नियमानुसार सेफ्टी कोरीडोर छोड़ते हुये ले-आउट प्लान जारी किया जावें।
3. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि पर मौके पर बिना स्वीकृति निर्माण किया गया है। मौके पर किये गये निर्माण प्रार्थी से विस्तृत भवन मानचित्र प्राप्त कर कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा मौका रिपोर्ट करवाने के उपरान्त बिना स्वीकृति के किये गये निर्माण के संबंध में राज्य सरकार के आदेश दिनांक 03.07.2020 अनुसार कार्यवाही करते हुये नियमानुसार राशि वसूल की जावें।
4. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 12.04.2018 के अनुसार 05 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र की एवज में नियमानुसार राशि जमा करवायी जावें।
5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व एकीकृत भवन विनियम 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।

एजेण्डा संख्या 10 :- (28.07.2020) जोन-पूर्व

विषय :- राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 86 मीन व 93/1 रकबा 02.01.08 बीघा के आवासीय एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।

आवेदक :- श्री गोमाराम उर्फ गोविन्दराम, श्री चन्दूराम उर्फ चन्दाराम, राजूराम, बाबूलाल, पप्पूराम उर्फ पप्पूराम पुत्र श्री पुरखाराम।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. जोन से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार मौके पर सड़क चौड़ाई 30 फीट से 45 फीट प्राप्त होती है। अतः राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति की बैठक दिनांक 30.09.2009 के निर्णय के बिन्दु संख्या 06 की पालना में सेन्ट पॉल स्कूल को जाने वाली सड़क (चौड़ाई 60 फीट) से प्रभावित होने वाली भूमि आवेदक से निःशुल्क समर्पित करवाई जावे तथा शेष आवेदित भूमि का मानचित्र आवेदक से प्राप्त किया जाकर ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
2. आवेदित भूमि जैसलमेर-जयपुर बाईपास रोड पर स्थित है, जिसका मास्टर प्लान अनुसार मार्गाधिकार 200 फीट एवं तत्पश्चात 100-100 फीट वृक्षारोपण पट्टी हेतु आरक्षित रखा जाना है। अतः सड़क मार्गाधिकार हेतु मौके पर स्थित सड़क की मध्य रेखा से 100 फीट (गहराई तक) भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
3. आवेदक द्वारा पूर्व में योजना का ले-आउट प्लान प्रस्तावित किया गया था। अब आवेदक द्वारा जरिये अधिवक्ता आवेदित भूमि का एकल पट्टा जारी किये जाने का निवेदन किया गया है। आवेदक द्वारा पूर्व में प्रस्तुत ले-आउट प्लान में दर्शाये गये अनुसार किसी भी भूखण्ड का बेचान नहीं किया गया है, इस बाबत शपथ आवेदक से लिया जाकर मानचित्र जारी किया जावे।
4. सुविधा क्षेत्र हेतु नियमानुसार 5 प्रतिशत भूमि छोड़ी जानी होगी अथवा सुविधा क्षेत्र की एवज में नियमानुसार राशि जमा करवायी जावे।
5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व एकीकृत भवन विनियम 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।
6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।

एजेण्डा संख्या 11 :- (28.07.2020) जोन-पूर्व

विषय :- राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 767/1 रकबा 07.00.00 बीघा के आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।

आवेदक :- श्री बिरमाराम पुत्र श्री रावतराम।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श आवेदित भूमि को मुख्य सड़क से पहुंच मार्ग मौका एवं राजस्व रिकॉर्ड अनुसार 40 फीट प्राप्त होने या नहीं होने के संबंध में उपायुक्त स्वयं के स्तर से पुनः परीक्षण किया जाकर रिपोर्ट सहित प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 12 :- (28.07.2020) जोन-पूर्व

विषय :- राजस्व ग्राम खारडा रणधीर के खसरा संख्या 45/2 रकबा 03.13.10 बीघा के आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।

आवेदक :- श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री हरचन्द्रराम।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. सड़क मार्गाधिकार मास्टर प्लान 2023 अनुसार 120 फीट निर्धारित है। अतः सड़क मार्गाधिकार हेतु मौके पर स्थित सड़क की मध्य रेखा से 60 फीट (गहराई तक) भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
2. आवेदक द्वारा प्रस्तुत ले-आउट प्लान में दर्शित वाणिज्यिक क्षेत्र में नियमानुसार इन्फोर्मल शॉप्स का प्रावधान करने के उपरान्त ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
3. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने हैं जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।
4. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावे।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।

एजेण्डा संख्या 13 :- (28.07.2020) जोन-पूर्व

विषय :- राजस्व ग्राम खारडा रणधीर के खसरा संख्या 7/1 रकबा 04.11.00 बीघा के आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।

आवेदक :- श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री हरचन्द्रराम।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. सड़क मार्गाधिकार मास्टर प्लान 2023 अनुसार 120 फीट निर्धारित है। अतः सड़क मार्गाधिकार हेतु मौके पर स्थित सड़क की मध्य रेखा से 60 फीट (गहराई तक) भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
2. आवेदक द्वारा प्रस्तुत ले-आउट प्लान में दर्शित वाणिज्यिक क्षेत्र में नियमानुसार इन्फोर्मल शॉप्स का प्रावधान करने के उपरान्त ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
3. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने हैं जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।
4. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावे।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।

एजेण्डा संख्या 14 :- (28.07.2020) जोन-पूर्व

विषय :- राजस्व ग्राम उचियारडा के खसरा संख्या 34/2, 32/5, 32/6, 32/7, 32/8 रकबा 12.00.00 बीघा के आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।

आवेदक :- श्रीमती बिरजुदेवी उर्फ बिरजुडी पत्नि श्री बीजाराम एवम् बीजाराम पुत्र श्री जियाराम।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि को मौका एवं राजस्व रिकॉर्ड अनुसार पहुंच मार्ग 100 फीट चौड़ा प्राप्त होता है जो कि कटाणी मार्ग है। अतः मार्गाधिकार 100 फीट रखा जाने का निर्णय लिया गया।

2. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने हैं जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावें।
3. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावें।
4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।

एजेण्डा संख्या 15 :- (28.07.2020) जोन-पूर्व

विषय :- राजस्व ग्राम बनाड़ के खसरा संख्या 198 रकबा 13.11.00 बीघा में से 09.15.00 (मौका अनुसार 09.11.09 बीघा) के आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।
आवेदक :- मैसर्स आशापूर्णा बिल्डकॉन लि. जरिये अधिकृत डायरेक्टर श्री करणसिंह उचियारडा।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. संलग्न ले-आउट प्लान में दर्शित भूखण्ड संख्या 13, 14, 76, 66 के मध्य दर्शित रोड जंक्शन को तकनीकी रूप से संशोधित किये जाने के उपरान्त ले-आउट प्लान जारी किया जावें।
2. सड़क मार्गाधिकार मास्टर प्लान 2023 अनुसार 100 फीट निर्धारित है। अतः सड़क मार्गाधिकार हेतु मौके पर स्थित सड़क की मध्य रेखा से 50 फीट (गहराई तक) भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावें।
3. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने हैं जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावें।
4. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावें।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें

एजेण्डा संख्या 16 :- (28.07.2020) जोन-पश्चिम

विषय :- राजस्व ग्राम चौखा के खसरा संख्या 58/1, 58/3 रकबा 05.00.00 बीघा के आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।
आवेदक :- श्रीमती लीलादेवी पत्नि श्री गणेश कुमार व श्रीमती सुमन उर्फ सुमली पत्नि श्री मूलाराम।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. प्रस्तुत ले-आउट प्लान में प्रस्तावित पार्क एवं भूखण्ड संख्या 14-18 के मध्य 10 फीट चौड़ाई का पाथ-वे रखा जाना है। एवं कार्नर भूखण्डों की चौड़ाई इस प्रकार रखी जानी है कि नियमानुसार सेटबैक लगाने के उपरान्त अपेक्षित निर्माण योग्य क्षेत्र प्राप्त हो सके। उपरोक्त संशोधन उपरांत ले-आउट जारी किया जावें।
2. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने हैं जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावें।
3. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावें।

4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।

एजेण्डा संख्या 17 :- (28.07.2020) जोन-पश्चिम

विषय :- राजस्व ग्राम चौखा के खसरा संख्या 58/2 रकबा 11.04.00 बीघा के आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।
आवेदक :- श्रीमती लीलादेवी पत्नि श्री गणेश कुमार।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि को पहुँच मार्ग खसरा नं. 58/1 में प्रस्तावित आवासीय योजना की 40 फीट सड़क से प्राप्त हो रहा है, जिसकी सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे।
2. प्रस्तुत ले-आउट प्लान तकनीकी रूप से सही नहीं है। योजना में प्रस्तावित 30 फीट चौड़ाई की सड़को का नेटवर्क यातायात की दृष्टि से उचित नहीं है जिसको संशोधित किया जाना है। अतः संशोधित मानचित्र मय सहमति आवेदक से लिया जाकर ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
3. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने हैं जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावे।
4. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावे।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।

एजेण्डा संख्या 18 :- (28.07.2020) जोन-पश्चिम

विषय :- राजस्व ग्राम डोली के खसरा संख्या 682/2, 683/1, 686 रकबा 06.18.00 बीघा के संस्थागत एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।
आवेदक :- जन कल्याण एवं विकास शिक्षण संस्थान जरिये श्री राकेश कुमार चौधरी पुत्र श्री सुखदेव चौधरी।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि को पहुँच मार्ग की चौड़ाई मौका एवम् राजस्व रिकार्ड अनुसार 100 फीट है एवम् मास्टर डवलपमेंट प्लान 2031 अनुसार भी चौड़ाई 100 फीट है। अतः सड़क मार्गाधिकार 100 फीट रखे जाने का निर्णय लिया गया।
2. मौके पर किये गये निर्माण के प्रार्थी से विस्तृत भवन मानचित्र प्रार्थी से प्राप्त कर कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा मौका रिपोर्ट करवाने के उपरान्त बिना स्वीकृति के किये गये निर्माण के संबंध में राज्य सरकार के आदेश दिनांक 03.07.2020 अनुसार कार्यवाही करते हुये नियमानुसार राशि वसुल की जावे।
3. राज्य सरकार जारी परिपत्र दिनांक- 22.06.2017 के अनुसार संस्थागत प्रयोजनार्थ पट्टा जारी किये जाने पर पट्टे में यह शर्त अंकित की जावे की भविष्य में उक्त क्षेत्र में यदि किसी सार्वजनिक उपयोग यथा पुलिस स्टेशन, अग्निशमन केन्द्र, विद्युत सब-स्टेशन, ओवरहेड वॉटर टैंक आदि स्थापित किये जाने के भूमि की आवश्यकता होगी तो संबंधित संस्थान द्वारा 5 प्रतिशत सीमा तक निःशुल्क समर्पित किया जावे।
4. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व एकीकृत भवन विनियम 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।

एजेण्डा संख्या 19 :- (28.07.2020) जोन-पश्चिम

विषय :- राजस्व ग्राम बावरली के खसरा संख्या 360/3, 360/6 रकबा 03.03.05 बीघा के फार्म हाऊस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।
आवेदक :- श्री रामाराम पुत्र श्री गुमनाराम।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. जोन चैक लिस्ट के अनुसार आवेदित भूमि का पहुँच मार्ग 53 फीट है जो कि कटाणी मार्ग है। आवेदक द्वारा संलग्न ले-आउट प्लान में उक्त मार्ग को 100 फीट प्रस्तावित किया गया है। उक्त पहुँच मार्ग की निकटतम मुख्य सड़क तक चौड़ाई मौका एवं राजस्व रेकार्ड अनुसार कितनी है एवं उक्त सड़क किन-किन गोंवों को जोड़ती है, का परीक्षण स्वयं उपायुक्त जोन द्वारा किया जाकर सड़क चौड़ाई के संबंध में प्रस्ताव देते हुए आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 20 :- (28.07.2020) जोन-पश्चिम

विषय :- राजस्व ग्राम आगोलाई के खसरा संख्या 978/1 रकबा 01.00.00 बीघा के होटल एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।
आवेदक :- श्री इन्द्राराम पुत्र श्री मोतीराम।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. मास्टर प्लान अनुसार मार्गाधिकार 200 फीट रखे जाने पर सड़क के मध्य से आवेदित भूमि 100 फीट की दूरी पर होनी चाहिए जबकि आवेदित भूमि 132 फीट पर स्थित है। जोन पटवारी की रिपोर्ट अनुसार सड़क के मध्य से 132 फीट दूरी पर आ रही भूमि पूर्व से सड़क मार्गाधिकार हेतु समर्पित है, उक्त समर्पित भूमि खसरा नं. 978/2 पर मौके पर कोई अतिक्रमण नहीं है। अर्थात् समर्पित भूमि सहित सड़क के मध्य से आवेदित भूमि की दूरी 132 फीट है जो कि मास्टर प्लान के प्रस्तावित मार्गाधिकार अनुसार सड़क की मध्य रेखा से 32 फीट अधिक है अतः सड़क के मध्य से 100 फीट दूरी उपरान्त आवेदित भूमि की तरफ 100 फीट गहराई तक प्लान्टेशन बेल्ट छोड़ा जाना होगा। अर्थात् आवेदित भूमि खसरा नम्बर 978/1 में से 68 फीट गहराई तक प्लान्टेशन बैलट होगा एवम् अग्र सेटबैक भी तदनुसार 68 फीट रखा जावे।
2. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 12.04.2018 के अनुसार 05 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र की एवज में नियमानुसार राशि जमा करवायी जानी है।
3. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व एकीकृत भवन विनियम 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।
4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।

एजेण्डा संख्या 21 :- (28.07.2020) जोन-पश्चिम

विषय :- राजस्व ग्राम डोली के खसरा संख्या 746/1 रकबा 10.09.00 बीघा के आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।
आवेदक :- श्री खिंवराज पुत्र श्री भूराराम मेघवाल व श्री जसाराम पुत्र श्री भूराराम मेघवाल।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श आवेदित भूमि को पहुँच मार्ग की चौड़ाई मौका एवम् राजस्व रेकार्ड अनुसार किसी भी स्थिति में 40' होने या नहीं

होने के सम्बंध में पुनर्परिक्षण किया जा कर प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 22 :- (28.07.2020) जोन-पश्चिम

विषय :- राजस्व ग्राम चौपासनी के खसरा संख्या 66/2 एकल आवासीय प्रयोजनार्थ भूखण्ड संख्या 03 कुल क्षेत्रफल 1955.55 वर्गगज में से 977.77 वर्गगज व 977.77 वर्गगज का उपविभाजन बाबत।
आवेदक :- श्री गजुसिंह एवं श्री कमलसिंह पुत्र श्री चैनसिंह।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ उपविभाजन अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. प्रश्नगत भूखण्डों का क्षेत्रफल 1500 वर्गगज से अधिक होने के कारण राज्य सरकार परिपत्र दिनांक 19.02.2010 के क्रम में राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त की जावे।
2. राज्य सरकार को भिजवाये जाने से पूर्व आपत्ती आमंत्रित करने हेतु समाचार पत्र में विज्ञप्ति जारी की जावे।
3. उपविभाजित भूखण्ड के सेटबैक मूल भूखण्ड के अनुसार ही होंगे।
4. भूखण्ड के पश्चिम भाग में किये गये निर्माण को हटाये जाने हेतु प्रार्थी से शपथ-पत्र लिया जावे।

एजेण्डा संख्या 23 :- (28.07.2020) जोन-पश्चिम

विषय :- राजस्व ग्राम नारनाडी के खसरा संख्या 17/2, 17/3 रकबा 03.02.14 बीघा के फार्म हाऊस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।
आवेदक :- श्री मदनलाल पुत्र श्री घेवरराम, श्री विशनाराम पुत्र श्री शिवाराम।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. जोन चैक लिस्ट के अनुसार आवेदित भूमि मौका एवम् राजस्व रिकार्ड अनुसार 40' चौड़ी सड़क पर स्थित है जबकि सलग्न ले-आउट प्लान में सड़क की मध्य रेखा से आवेदित भूमि की दूरी 40'-2" अंकित है। अतः सड़क चौड़ाई के संबंध में स्पष्ट सूचना स्वयं उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत की जानी है, तदनुसार आवेदक से संशोधित मानचित्र लिया जावे।
2. साथ ही मुख्य सड़क से आवेदित भूमि तक पहुच मार्ग की मौका अनुसार विभिन्न स्थानों पर चौड़ाई बाबत रिपोर्ट उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत की जावे।

उपरोक्त बिन्दुओं की सुनिश्चितता/पूर्ति उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 24 :- (28.07.2020) जोन-पश्चिम

विषय :- राजस्व ग्राम तिंवरी के खसरा संख्या 132 रकबा 27.03.00 बीघा के फार्म हाऊस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।
आवेदक :- श्री पुनाराम पुत्र श्री नारायणराम।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. जोन चैक लिस्ट के अनुसार आवेदित भूमि मौका अनुसार 30' एवम् राजस्व रिकार्ड अनुसार 80' चौड़ी सड़क पर स्थित है जबकि सलग्न ले-आउट प्लान में सड़क की मध्य रेखा से एक तरफ सामने की ओर अन्य खातेदार की भूमि में 80' चौड़ी सड़क दर्शा रखी है। अतः सड़क चौड़ाई के संबंध में स्पष्ट सूचना स्वयं उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत की जानी है तदनुसार आवेदक से मानचित्र लिया जावे।
 2. साथ ही मुख्य सड़क से आवेदित भूमि तक पहुच मार्ग की मौका अनुसार विभिन्न स्थानों पर चौड़ाई बाबत रिपोर्ट उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत की जावे।
- उपरोक्त बिन्दुओं की सुनिश्चितता/पूर्ति उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 25 :- (28.07.2020) जोन-पश्चिम

विषय :- राजस्व ग्राम गंगाणा के खसरा संख्या 185/1 रकबा 06.05.00 बीघा के फार्म हाऊस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।

आवेदक :- श्री तुलसीराम पुत्र श्री रणछोडदास।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. जोन चैक लिस्ट के अनुसार आवेदित भूमि 60' चौड़ी सड़क पर स्थित है जबकि तहसीलदार लूणी द्वारा जारी प्रारूप 7 दिनांक 26.12.2019 के बिन्दु संख्या 24 में पहुच मार्ग की चौड़ाई मौका अनुसार 80' एवम् राजस्व रिकार्ड अनुसार रास्ता नहीं होना अकिंत है। अतः सड़क चौड़ाई/मार्गाधिकार की मौका एवम् राजस्व रिकार्ड अनुसार सपष्ट सूचना स्वयं उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत की जावें।
2. जोन चैकलिस्ट एवम् प्रस्तुत ले-आउट प्लान में दशाये अनुसार आवेदित भूमि से एच.टी लाईन गुजर रही है जोकि पहुच मार्ग की मध्य रेखा के समानान्तर है जिसकी क्षमता के संबंध में रिपोर्ट जोन स्तर से ली जानी है एवम् तदनुसार सेफटी कोरिडोर दर्शाते हुए सशोधित मानचित्र आवेदक से लिया जावें।

उपरोक्त बिन्दुओं की सुनिश्चितता/पूर्ति उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 26 :- (28.07.2020) जोन-पश्चिम

विषय :- राजस्व ग्राम चौपासनी के खसरा संख्या 148/मीन रकबा 12 बीघा में से 10013.88 के वाणिज्यिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।

आवेदक :- श्री अमृतलाल भाटी पुत्र स्व. श्री पन्नालाल।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि जोधपुर-बाडमेंर रोड पर स्थित है, जिसका मास्टर प्लान अनुसार मार्गाधिकार 200 फीट है एवम् उक्त सड़क पर 100 फीट गहराई तक वाणिज्यिक भू-उपयोग अनुज्ञेय है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत ले-आउट प्लान में आवेदित भूमि सड़क की मध्य रेखा से 50' दूरी पर स्थित है। अतः सड़क मार्गाधिकार 200 फीट हेतु मौके पर स्थित सड़क की मध्य रेखा से 100 फीट (गहराई तक) भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावें।
2. आवेदकों द्वारा प्रस्तुत ले-आउट प्लान में एकल वाणिज्यिक एवम् दक्षिण दिशा में आवेदित भूमि में से 100' सड़क प्रस्तावित की हैं। आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के क्रम में समिति द्वारा विचार-विमर्श कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित उक्त 100' सड़क रोड की चौड़ाई 60' रखे जाने का निर्णय लिया गया है।
3. 05 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र की एवज में नियमानुसार राशि जमा करवायी जावें।
4. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व एकीकृत भवन विनियम 2017 के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।

एजेण्डा संख्या 27 :- (28.07.2020) जोन-पश्चिम

विषय :- राजस्व ग्राम गंगाणा के खसरा संख्या 97 पट्टा सुदा एकल भूखण्ड क्षेत्रफल 8778.79 वर्गगज का उपविभाजन कर आवासीय योजना का ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।

आवेदक :- श्री नूर मोहम्मद पुत्र श्री दीन मोहम्मद।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ उपविभाजन अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने हैं जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावे।
2. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावें।
3. योजना में आन्तरिक विकास हेतु मानदण्डों एवम् नियमों की पालना राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधान के तहत सुनिश्चित किया जायेगा। नियमानुसार उपविभाजन शुल्क एवं अन्य देय शुल्क जमा करवाये जाने होंगे।
4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही अग्रिम कार्यवाही की जावे।

एजेण्डा संख्या 28 :- (28.07.2020) जोन-उत्तर

विषय :- राजस्व ग्राम मण्डोर-प्रथम के खसरा संख्या 72/19, 72/43 रकबा 02.10.11 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।
आवेदक :- वरुण कोल्ड स्टोरेज एण्ड वेयर हाउस जरिये प्रोपराईटर श्री हुक्मीचन्द पुत्र श्री मेघराज अरोड़ा, दीया एगो इण्डस्ट्रीज जरिये प्रोपराईटर श्री उमा शंकर पुत्र श्री सम्पतलाल अरोड़ा।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श प्रकरण में आवेदित भूमि के पूर्व दिशा में स्थित सड़क पर 80 फीट से कम अथवा अधिक सड़क मार्गाधिकार पर पूर्व में यदि कोई स्वीकृति जारी की गई हो, तो उक्त के संबंध में जोन उपायुक्त से टिप्पणी प्राप्त कर आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही आवेदित भूमि के पश्चिम दिशा में स्थित सड़क मार्गाधिकार के संबंध में भी टिप्पणी प्राप्त की जावें।

एजेण्डा संख्या 29 :- (28.07.2020) जोन-उत्तर

विषय :- राजस्व ग्राम सिन्धियो की ढाणी, रामपुरा भाटियान के खसरा संख्या 256/1 रकबा 06.01.00 बीघा के फार्म हाऊस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।
आवेदक :- श्री ओमाराम पुत्र श्री दूडाराम।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श प्रकरण में राज्य सरकार के आदेश दिनांक 27.11.2019 अनुसार आवेदित खसरान् की भूमि से संबंधित प्रारूप मास्टर प्लान-2031 के संबंध में प्राप्त आपत्ति के क्रम में प्रकरण को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 30 :- (28.07.2020) जोन-उत्तर

विषय :- राजस्व ग्राम मथानिया के खसरा संख्या 823/10 रकबा 04.15.00 बीघा के फार्म हाऊस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।
आवेदक :- श्री दुर्गाराम पुत्र श्री कानाराम।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि के सामने स्थित सड़क का मार्गाधिकार पूर्व में प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित खसरा संख्या 823/3 व 823/6 के ले-आउट प्लान अनुसार 80 फीट रखी जाकर अग्रिम कार्यवाही की जावें। अतः सड़क मार्गाधिकार हेतु मौके पर स्थित सड़क की मध्य रेखा से 40 फीट (गहराई तक) भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावें।
2. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि पर मौके पर बिना स्वीकृति निर्माण किया गया है। मौके पर किये गये निर्माण के संबंध में प्रार्थी से विस्तृत भवन मानचित्र प्राप्त कर कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा मौका रिपोर्ट करवाने के उपरान्त बिना स्वीकृति के किये गये निर्माण के संबंध में राज्य

सरकार के आदेश दिनांक 03.07.2020 अनुसार कार्यवाही करते हुये नियमानुसार राशि वसूल की जावें।

3. जोन चेकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि में गुजर रही विद्युत लाईन के नीचे नियमानुसार सुरक्षात्मक दूरी रखी जावें।
4. आवेदित भूमि के पीछे स्थित रेलवे सीमा से 100 फीट की दूरी में किये गये निर्माण को हटाये जाने के उपरांत मानचित्र जारी किये जावें।
5. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 13.03.2018 के अनुसार फार्म हाउस का एकल पट्टा जारी करते समय यह शर्त अंकित की जावे कि भविष्य में यदि सेक्टर रोड निकलती है व फार्म हाउस की भूमि प्रभावित होती है, तो यह प्रभावित भूमि संबंधित नगरीय निकाय को निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। भविष्य में यदि अन्य उपयोग के लिए रूपान्तरण किया जाता है तो उस उपयोग हेतु तय मानदण्ड लागू होंगे।
6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 31 :- (28.07.2020) जोन-उत्तर

विषय :- राजस्व ग्राम चौपासनी चारणान् के खसरा संख्या 112/11 रकबा 01.10.00 बीघा में से 01.08.00 बीघा के लघु उद्योग/कुटीर उद्योग एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।
आवेदक :- श्री रितेश मून्दडा पुत्र श्री अनिल मून्दडा।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि जोधपुर-ओसियां बाईपास सड़क पर स्थित है जिसका मार्गाधिकार जोधपुर मास्टर डवलपमेंट प्लान-2031 (प्रारूप) अनुसार 200 फीट आरक्षित रखा जावें तथा सड़क मार्गाधिकार उपरांत 100-100 फीट की वृक्षारोपण पट्टी आरक्षित की जावें। उक्त सड़क मार्गाधिकार हेतु मौके पर स्थित सड़क की मध्य रेखा से 100 फीट (गहराई तक) भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावें।
2. केवल Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय की जावें जिसका अंकन पट्टा विलेख जारी करते समय जोन स्तर पर किया जावें।
3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मानचित्र अनुसार सड़क मार्गाधिकार उपरान्त 1968.43 वर्गमीटर भूमि शेष रहती है। अतः उक्तानुसार अथवा मौके पर उपलब्ध भूमि की सुनिश्चितता जोन स्तर पर किये जाने के उपरांत मानचित्र जारी किया जावें।
4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 32 :- (28.07.2020) जोन-उत्तर

विषय :- राजस्व ग्राम भदवासिया के खसरा संख्या 75 रकबा 78.04.00 बीघा में से 03.01.00 बीघा के आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।

आवेदक :- श्री जयसिंह परिहार पुत्र श्री हेमसिंह परिहार, श्री अश्विनी परिहार, श्री गौरव परिहार पुत्रान् श्री उगम सिंह, श्री जब्बर सिंह, श्री सम्पत सिंह, श्री शैतान सिंह, श्री श्याम सिंह पुत्रान् श्री प्रभुजी, श्री सीताराम पुत्र श्री हेमाराम एवं श्री उगम सिंह पुत्र श्री सावलराम।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि के सामने स्थित सड़क का मार्गाधिकार पूर्व में प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित खसरा संख्या 75 के ले-आउट प्लान अनुसार 60 फीट रखी जाकर अग्रिम कार्यवाही की जावें। उक्त सड़क मार्गाधिकार हेतु मौके पर स्थित सड़क की मध्य रेखा से 30 फीट (गहराई तक) भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावें। साथ ही उक्त सड़क मौके पर 40 फीट उपलब्ध है, के संबंध में जोन उपायुक्त से टिप्पणी प्राप्त की जावें तथा 40 फीट सड़क उपलब्ध होने पर ही मानचित्र जारी किया जावें।
2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मानचित्र में 5 प्रतिशत पार्क एवम् खुला क्षेत्र का प्रावधान नहीं किया गया है, अतः उक्त का प्रावधान करते हुए संशोधित मानचित्र प्राप्त किया जावें।
3. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि में से गुजर रही विद्युत लाईन की क्षमता एवं मानचित्र पर स्थिति दर्शायी जावें तथा सुरक्षात्मक दूरी छोड़ते हुए मानचित्र जारी किये जावें।
4. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने हैं जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।
5. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावें।
6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
7. बिन्दु संख्या 2 के अनुसार प्रार्थी से संशोधित मानचित्र प्राप्त कर एवम् उपरोक्त अन्य बिन्दुओं की पूर्ति उपरान्त ले-आउट प्लान जारी किया जावें।

एजेण्डा संख्या 33 :- (28.07.2020) जोन-उत्तर

विषय :- राजस्व ग्राम माणकलाव के खसरा संख्या 126/7/2 रकबा 01.00.00 बीघा के पेट्रोल पम्प एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।

आवेदक :- श्री बाबूलाल टाक पुत्र श्री चुन्नीलाल टाक, श्री जेठाराम पुत्र श्री रामचन्द्र गहलोत।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श संबंधित एजेन्सी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/पी.डब्ल्यू.डी से प्रश्नगत सड़क के डिनोटिफिकेशन के संबंध में टिप्पणी प्राप्त की जावें तथा पी.डब्ल्यू.डी से पेट्रोल पम्प हेतु आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त करते हुए आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 34 :- (28.07.2020) जोन-उत्तर

विषय :- राजस्व ग्राम रामनगर के खसरा संख्या 554/2 रकबा 02.15.00 बीघा में से 01.11.07 बीघा के पेट्रोल पम्प एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।

आवेदक :- श्रीमती अदिति कच्छवाहा पत्नि श्री राजवीरसिंह।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि जोधपुर-ओसियां बाईपास सड़क पर स्थित है जिसका मार्गाधिकार जोधपुर मास्टर डवलपमेंट प्लान-2031 (प्रारूप) अनुसार 200 फीट आरक्षित रखा जावें। उक्त सड़क मार्गाधिकार हेतु मौके पर स्थित सड़क की मध्य रेखा से 100 फीट (गहराई तक) भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावें।
2. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 20.04.2017 के अनुसार पेट्रोल पम्प के लिए आवश्यक गहराई के पश्चात् 100 फीट गहराई की वृक्षारोपण पट्टी अपेक्षित है। आवेदित भूमि के पीछे की तरफ क्रमशः लगभग 117 फीट तथा 80 फीट भूमि उपलब्ध है, परन्तु सुपरईम्पोज भुजा 'ए-बी' के

पीछे वाले भाग का क्षेत्रफल मिलाने पर 100 फीट की वृक्षारोपण पट्टी की गहराई हेतु जो आवश्यक क्षेत्रफल वांछित है, उससे अधिक क्षेत्रफल प्राप्त हो रहा है। अतः एजेण्डा में उल्लेखित प्रस्ताव को समिति द्वारा अनुमोदित किया गया तथा जोन उपायुक्त को वृक्षारोपण पट्टी के उपरोक्तानुसार क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुए नियमानुसार संशोधित 90-क की कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।

3. राज्य सरकार द्वारा प्रचलित भवन विनियम के संबंध में दिनांक 07.03.2018 को जारी अधिसूचना अनुसार संबंधित एजेन्सी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/पी.डब्ल्यू.डी से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त किया जावे जिसकी सुनिश्चितता पट्टा विलेख जारी करने से पूर्व जोन स्तर पर की जावें।
4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 35 :- (28.07.2020) जोन-उत्तर

विषय :- राजस्व ग्राम दर्जजर के खसरा संख्या 224 रकबा 30.11.00 बीघा में से 02.00.00 बीघा के पेट्रोल पम्प एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।

आवेदक :- श्री बस्तीराम पुत्र श्री मूलाराम।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि मथानिया-नागौर सडक पर स्थित है जिसका मार्गाधिकार प्रस्तुत मानचित्र अनुसार 264 फीट आरक्षित रखा जावें। उक्त सडक मार्गाधिकार हेतु मौके पर स्थित सडक की मध्य रेखा से 132 फीट (गहराई तक) भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावें।
2. राज्य सरकार के आदेश दिनांक 20.04.2017 के अनुसार पेट्रोल पम्प के लिए आवश्यक गहराई के पश्चात् 100 फीट गहराई की वृक्षारोपण पट्टी आरक्षित की जावें।
3. राज्य सरकार द्वारा प्रचलित भवन विनियम के संबंध में दिनांक 07.03.2018 को जारी अधिसूचना अनुसार संबंधित एजेन्सी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/पी.डब्ल्यू.डी से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त किया जावे जिसकी सुनिश्चितता पट्टा विलेख जारी करने से पूर्व जोन स्तर पर की जावें।
4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 36 :- (28.07.2020) जोन-उत्तर

विषय :- राजस्व ग्राम चौपासनी चारणान के खसरा संख्या 112/9 रकबा 08.18.00 बीघा में से 02.15.00 बीघा के कृषि आधारित उद्योग एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।

आवेदक :- श्रीमती खुशबु गुलेच्छा बाफना पत्नी श्री सौरभ बाफना।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श प्रकरण में पूर्व में प्राधिकरण द्वारा 80 फीट से कम सड़क मार्गाधिकार पर कोई कमिटमेंट नहीं हो की टिप्पणी जोन उपायुक्त से प्राप्त कर आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 37 :- (28.07.2020) जोन-उत्तर

विषय :- राजस्व ग्राम मण्डोर के खसरा संख्या 1798, 1800/1/1 रकबा 11.14.00 बीघा के आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदित ले-आउट प्लान में संशोधन के संबंध में निर्णय बाबत।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श प्रकरण में प्रश्नगत भूखण्डों के आस-पास प्राधिकरण द्वारा पूर्व में जारी पट्टा विलेखों की विस्तृत जांच जोन उपायुक्त स्तर पर कर आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 38 :- (28.07.2020) जोन-उत्तर

विषय :- राजस्व ग्राम दर्जजर के खसरा संख्या 69/5 रकबा 06.00.00 बीघा के आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।

आवेदक :- श्री सुखाराम पुत्र श्री मांगीलाल।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श प्रकरण में प्राप्त आपत्ति की विस्तृत जांच जोन उपायुक्त स्तर पर कर आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही संशोधित 90-क की कार्यवाही एवम् क्षेत्रफल के संबंध में भी जोन उपायुक्त स्तर से टिप्पणी प्राप्त करते हुए प्रकरण को आगामी बैठक में रखा जावे।

एजेण्डा संख्या 39 :- (28.07.2020) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 434/6 रकबा 03.10.00 बीघा के आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।

आवेदक :- श्री पारस जैन पुत्र श्री जवरीलाल।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. जोन चेकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि को 40 फीट तरमीमसुदा विद्यमान पहुँच मार्ग सुनिश्चित किया जावे। उक्त की सुनिश्चितता हेतु जोन से पत्रावली पर रिपोर्ट प्राप्त की जाकर तदनुसार मानचित्र जारी किये जावे।
2. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विकय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।
3. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावे।
4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।

एजेण्डा संख्या 40 :- (28.07.2020) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 129/11 रकबा 00.13.09 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।

आवेदक :- श्री वेदप्रकाश प्रजापति पुत्र श्री भंवरलाल।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. जोन चेकलिस्ट अनुसार दक्षिण-पश्चिम दिशा में स्थित सालावास-बोरानाडा जाने वाली सड़क से आवेदित भूमि को 60 फीट विद्यमान पहुँच मार्ग सुनिश्चित किया जावे। उक्त सड़क

- मार्गाधिकार हेतु मौके पर स्थित सड़क की मध्य रेखा से 30 फीट (गहराई तक) भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
- केवल Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय की जावे जिसका अंकन पट्टा विलेख जारी करते समय जोन स्तर पर किया जावे।
 - प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मानचित्र अनुसार सड़क मार्गाधिकार उपरान्त 1086.97 वर्गमीटर भूमि शेष रहती है। अतः उक्तानुसार अथवा मौके पर उपलब्ध भूमि की सुनिश्चितता जोन स्तर पर किये जाने के उपरान्त मानचित्र जारी किया जावे।
 - राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
 - उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
 - प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 41 :- (28.07.2020) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम बोरानाडा के खसरा संख्या 80 रकबा 09.16.00 बीघा में से 05.07.00 बीघा के आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।
आवेदक :- श्री श्यामदास पुत्र श्री मोहनदास।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

- जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि को पूर्व में प्राधिकरण द्वारा खसरा संख्या 61 पर अनुमोदित योजना से 40 फीट विद्यमान पहुँच मार्ग सुनिश्चित किया जावे।
- प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मानचित्र में आवेदित भूमि तक उपलब्ध 40 फीट पहुँच मार्ग को आगे 30 फीट मार्ग में से मिलाया गया है, जो कि नियमानुसार सही नहीं है। साथ ही प्रस्तुत मानचित्र में 5 प्रतिशत प्रस्तावित सुविधा क्षेत्र के स्थान पर पार्क का प्रावधान किया जावे। उपरोक्तानुसार संशोधन हेतु प्रार्थी यदि सहमत नहीं हो तो प्रकरण को पुनः समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावे।
- नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।
- मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावे।
- उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
- बिन्दु संख्या 2 के अनुसार प्रार्थी से संशोधित मानचित्र प्राप्त कर एवम् उपरोक्त अन्य बिन्दुओं की पूर्ति उपरान्त ले-आउट प्लान जारी किया जावे।

एजेण्डा संख्या 42 :- (28.07.2020) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 126/27 रकबा 02.00.00 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।
आवेदक :- श्री ढलाराम चौहान पुत्र श्री घमण्डाराम।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 12.08.2015 व 08.02.2016 के अनुसार न्यूनतम विद्यमान पहुँच मार्ग 40 फीट नहीं होने के कारण प्रकरण को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया

गया। साथ ही राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 12.08.2015 तथा दिनांक 08.02.2018 के प्रावधानों के विपरीत 90-क की कार्यवाही करने में दोषी के संबंध में सचिव को जांच कर 7 दिवस में आयुक्त महोदय को रिपोर्ट प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया।

एजेण्डा संख्या 43 :- (28.07.2020) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 129/65 रकबा 01.06.12 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।
आवेदक :- श्री किशोर पुत्र श्री बंशीलाल खत्री।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. जोन चेकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि को 80 फीट पहुँच मार्ग सुनिश्चित किया जावे। उक्त सड़क मार्गाधिकार हेतु मौके पर स्थित सड़क की मध्य रेखा से 40 फीट (गहराई तक) भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
2. केवल Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय की जावे जिसका अंकन पट्टा विलेख जारी करते समय जोन स्तर पर किया जावे।
3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मानचित्र अनुसार सड़क मार्गाधिकार उपरान्त 2154.70 वर्गमीटर भूमि शेष रहती है। अतः उक्तानुसार अथवा मौके पर उपलब्ध भूमि की सुनिश्चितता जोन स्तर पर किये जाने के उपरांत मानचित्र जारी किया जावे।
4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 44 :- (28.07.2020) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 129/66 रकबा 01.06.14 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।
आवेदक :- श्री मुकेश प्रजापत पुत्र श्री चौथाराम।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. जोन चेकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि को 80 फीट पहुँच मार्ग सुनिश्चित किया जावे। उक्त सड़क मार्गाधिकार हेतु मौके पर स्थित सड़क की मध्य रेखा से 40 फीट (गहराई तक) भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
2. केवल Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय की जावे जिसका अंकन पट्टा विलेख जारी करते समय जोन स्तर पर किया जावे।
3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मानचित्र अनुसार सड़क मार्गाधिकार उपरान्त 2161.02 वर्गमीटर भूमि शेष रहती है। अतः उक्तानुसार अथवा मौके पर उपलब्ध भूमि की सुनिश्चितता जोन स्तर पर किये जाने के उपरांत मानचित्र जारी किया जावे।
4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।

6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 45 :- (28.07.2020) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम हीरखेडा के खसरा संख्या 123 रकबा 45.13.00 बीघा में से 06.00.00 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।
आवेदक :- श्री ओमाराम पुत्र श्री गिरधारीराम।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श विद्यमान पहुँच मार्ग की चौड़ाई के संबंध में मुख्य सड़क से आवेदित भूमि तक जोन उपायुक्त व संबंधित उप नगर नियोजक को रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही पूर्व में उक्त सड़क पर हुए कमिटमेंट्स के संबंध में जोन तथा आयोजना शाखा से रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 46 :- (28.07.2020) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम जोधपुर-दक्षिण के खसरा संख्या 1035/740/13 रकबा 00.17.06 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।
आवेदक :- श्री पवन झंवर पुत्र श्री श्यामसुन्दर।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. जोन चेकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि के सामने स्थित सड़क पर पूर्व में प्राधिकरण द्वारा 80 फीट पर मानचित्र अनुमोदित किये गये हैं। तदनुसार आवेदित भूमि के सामने 80 फीट सड़क मार्गाधिकार रखा जावे। उक्त सड़क मार्गाधिकार हेतु मौके पर स्थित सड़क की मध्य रेखा से 40 फीट (गहराई तक) भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
2. केवल Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय की जावे जिसका अंकन पट्टा विलेख जारी करते समय जोन स्तर पर किया जावे।
3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मानचित्र अनुसार सड़क मार्गाधिकार उपरान्त 1397.53 वर्गमीटर भूमि शेष रहती है। अतः उक्तानुसार अथवा मौके पर उपलब्ध भूमि की सुनिश्चितता जोन स्तर पर किये जाने के उपरान्त मानचित्र जारी किया जावे।
4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 47 :- (28.07.2020) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 60/5 रकबा 04.00.00 बीघा में से 02.10.00 बीघा के आतिशबाजी गोदाम एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।
आवेदक :- श्रीमती वीणा पत्नि श्री सोहनलाल चाण्डक।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. जोन चेकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि के सामने स्थित मार्ग को 100 फीट रखते हुए प्राधिकरण द्वारा पूर्व में खसरा संख्या 60, 60/6 का कृषि आधारित उद्योग एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ मानचित्र अनुमोदित किया गया है। तदनुसार आवेदित भूमि के सामने स्थित सड़क का

- मार्गाधिकार 100 फीट रखा जावे। उक्त सड़क मार्गाधिकार हेतु मौके पर स्थित सड़क की मध्य रेखा से 50 फीट (गहराई तक) भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
2. प्रकरण में Explosive Rules व समय-समय पर इस संबंध में जारी परिपत्रों/आदेशों की पालना एवम् चाहे गये उपयोग के संबंध में पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन (PESO) एवम् संबंधित विभागों से अनापत्तियाँ प्रार्थी द्वारा स्वयं के स्तर पर प्राप्त की जावे।
 3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मानचित्र अनुसार सड़क मार्गाधिकार उपरान्त 4046.86 वर्गमीटर भूमि शेष रहती है। अतः उक्तानुसार अथवा मौके पर उपलब्ध भूमि की सुनिश्चितता जोन स्तर पर किये जाने के उपरांत मानचित्र जारी किया जावे।
 4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
 5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
 6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 48 :- (28.07.2020) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम तनावडा के खसरा संख्या 26/1/1/3 रकबा 01.04.05 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।
आवेदक :- श्री चांद मोहम्मद पुत्र श्री सईद मोहम्मद।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि जोधपुर सालावास मुख्य सड़क पर स्थित है, जो मौके पर 100 फीट चौड़ाई में उपलब्ध है। मास्टर डवलपमेंट प्लान-2031 (प्रारूप) अनुसार उक्त सड़क का मार्गाधिकार 48 मीटर है परन्तु उक्त सड़क पर पूर्व में मास्टर प्लान-2023 अनुसार 60 मीटर (200 फीट) सड़क मार्गाधिकार रखते हुए मानचित्र अनुमोदित किये गये हैं। तदनुसार आवेदित भूमि के सामने स्थित सड़क का मार्गाधिकार 200 फीट रखा जावे। उक्त सड़क मार्गाधिकार हेतु मौके पर स्थित सड़क की मध्य रेखा से 100 फीट (गहराई तक) भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
2. केवल Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय की जावे जिसका अंकन पट्टा विलेख जारी करते समय जोन स्तर पर किया जावे।
3. मास्टर प्लान अनुसार प्रस्तावित सर्किल हेतु आवश्यक भूमि छोड़ते हुए मानचित्र जारी किये जावे।
4. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मानचित्र अनुसार सड़क मार्गाधिकार उपरान्त 1629.87 वर्गमीटर भूमि शेष रहती है। अतः उक्तानुसार अथवा मौके पर उपलब्ध भूमि की सुनिश्चितता जोन स्तर पर किये जाने के उपरांत मानचित्र जारी किया जावे।
5. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
7. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।
8. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि पर मौके पर बिना स्वीकृति निर्माण किया गया है। मौके पर किये गये निर्माण के संबंध में प्रार्थी से विस्तृत भवन मानचित्र प्राप्त कर कनिष्ठ अभियन्ता

द्वारा मौका रिपोर्ट करवाने के उपरान्त बिना स्वीकृति के किये गये निर्माण के संबंध में राज्य सरकार के आदेश दिनांक 03.07.2020 अनुसार कार्यवाही करते हुये नियमानुसार राशि वसूल की जावे।

एजेण्डा संख्या 49 :- (28.07.2020) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम जोधपुर-दक्षिण के खसरा संख्या 1035/740/6 रकबा 00.13.00 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।

आवेदक :- श्री रामकिशोर मून्दडा पुत्र श्री दाऊलाल मून्दडा।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. जोन चेकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि को 60 फीट पहुँच मार्ग सुनिश्चित किया जावे। उक्त सड़क मार्गाधिकार हेतु मौके पर स्थित सड़क की मध्य रेखा से 30 फीट (गहराई तक) भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
2. केवल Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय की जावे जिसका अंकन पट्टा विलेख जारी करते समय जोन स्तर पर किया जावे।
3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मानचित्र अनुसार सड़क मार्गाधिकार उपरान्त 1044.46 वर्गमीटर भूमि शेष रहती है। अतः उक्तानुसार अथवा मौके पर उपलब्ध भूमि की सुनिश्चितता जोन स्तर पर किये जाने के उपरांत मानचित्र जारी किया जावे।
4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 50 :- (28.07.2020) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम जोधपुर-दक्षिण के खसरा संख्या 1035/740/10 रकबा 00.18.05 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।

आवेदक :- श्रीमती सीमा मून्दडा पत्नि श्री संगीत मून्दडा।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. जोन चेकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि के सामने स्थित सड़क पर पूर्व में प्राधिकरण द्वारा 80 फीट पर मानचित्र अनुमोदित किये गये हैं। तदनुसार आवेदित भूमि के सामने 80 फीट सड़क मार्गाधिकार रखा जावे। उक्त सड़क मार्गाधिकार हेतु मौके पर स्थित सड़क की मध्य रेखा से 40 फीट (गहराई तक) भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
2. केवल Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय की जावे जिसका अंकन पट्टा विलेख जारी करते समय जोन स्तर पर किया जावे।
3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मानचित्र अनुसार सड़क मार्गाधिकार उपरान्त 1477.10 वर्गमीटर भूमि शेष रहती है। अतः उक्तानुसार अथवा मौके पर उपलब्ध भूमि की सुनिश्चितता जोन स्तर पर किये जाने के उपरांत मानचित्र जारी किया जावे।
4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि

- प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 51 :- (28.07.2020) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम जोधपुर-दक्षिण के खसरा संख्या 1855/1087 रकबा 00.04.13 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।
आवेदक :- श्रीमती ममता झंवर पत्नि श्री मनीष झंवर।

- निर्णय :-** समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-
1. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि के सामने स्थित मार्ग को 60 फीट रखते हुए प्राधिकरण द्वारा पूर्व में मानचित्र अनुमोदित किये गये हैं। तदनुसार आवेदित भूमि के सामने स्थित सड़क का मार्गाधिकार 60 फीट रखा जावे। उक्त सड़क मार्गाधिकार हेतु मौके पर स्थित सड़क की मध्य रेखा से 30 फीट (गहराई तक) भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
 2. केवल Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय की जावे जिसका अंकन पट्टा विलेख जारी करते समय जोन स्तर पर किया जावे।
 3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मानचित्र अनुसार सड़क मार्गाधिकार उपरान्त 389.29 वर्गमीटर भूमि शेष रहती है। अतः उक्तानुसार अथवा मौके पर उपलब्ध भूमि की सुनिश्चितता जोन स्तर पर किये जाने के उपरान्त मानचित्र जारी किया जावे। साथ ही जमाबंदी अनुसार आवेदित भूमि का क्षेत्रफल 376.49 वर्गमीटर प्राप्त होता है। उक्त अतिरिक्त भूमि हेतु प्रार्थी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसके संबंध में प्रार्थी को अतिरिक्त भूमि के आवंटन के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही जोन उपायुक्त द्वारा की जावे।
 4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
 5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
 6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।
 7. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि पर मौके पर बिना स्वीकृति निर्माण किया गया है। मौके पर किये गये निर्माण के संबंध में प्रार्थी से विस्तृत भवन मानचित्र प्राप्त कर कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा मौका रिपोर्ट करवाने के उपरान्त बिना स्वीकृति के किये गये निर्माण के संबंध में राज्य सरकार के आदेश दिनांक 03.07.2020 अनुसार कार्यवाही करते हुये नियमानुसार राशि वसूल की जावे।

एजेण्डा संख्या 52 :- (28.07.2020) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 426/2 रकबा 16.09.00 बीघा में से 08.00.00 बीघा के आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।
आवेदक :- श्री हीराराम पुत्र श्री गंगाराम।

- निर्णय :-** समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-
1. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि को 40 फीट पहुंच मार्ग सुनिश्चित किया जावे। उक्त सड़क मार्गाधिकार हेतु मौके पर स्थित सड़क की मध्य रेखा से 20 फीट (गहराई तक) भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।

2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मानचित्र में 5 प्रतिशत प्रस्तावित सुविधा क्षेत्र के स्थान पर पार्क का प्रावधान किया जावे। उपरोक्तानुसार संशोधन हेतु प्रार्थी यदि सहमत नहीं हो तो प्रकरण को पुनः समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावे।
3. जोन चेकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि में से गुजर रही विद्युत लाईन की क्षमता एवं मानचित्र पर स्थिति दर्शायी जावे तथा नियमानुसार सुरक्षात्मक दूरी छोड़ते हुए मानचित्र जारी किये जावे।
4. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने हैं जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।
5. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावे।
6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
7. बिन्दु संख्या 2 के अनुसार प्रार्थी से संशोधित मानचित्र प्राप्त कर एवम् उपरोक्त अन्य बिन्दुओं की पूर्ति उपरान्त ले-आउट प्लान जारी किया जावे।

एजेण्डा संख्या 53 :- (28.07.2020) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम मोगडा कलां के खसरा संख्या 16/2, 18/5, 18/6, 16/3 कुल रकबा 44.04.00 बीघा के शैक्षणिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।

आवेदक :- मैसर्स अरुण शान्ति एज्युकेशन ट्रस्ट जरिये ट्रस्टी श्री नवनीत अग्रवाल पुत्र श्री शंकरलाल अग्रवाल।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श आवेदित भूमि को प्राप्त होने वाले पहुंच मार्ग की चौड़ाई के संबंध में राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति द्वारा पूर्व में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में निदेशक आयोजना को रिपोर्ट प्रस्तुत करने व अन्य बिन्दुओं का परीक्षण कर आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय गया।

एजेण्डा संख्या 54 :- (28.07.2020) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 77/26 रकबा 02.00.00 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।

आवेदक :- श्री जवराराम पुत्र श्री लालाराम।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि को 80 फीट पहुंच मार्ग सुनिश्चित किया जावे। उक्त सड़क मार्गाधिकार हेतु मौके पर स्थित सड़क की मध्य रेखा से 40 फीट (गहराई तक) भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
2. केवल Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय की जावे जिसका अंकन पट्टा विलेख जारी करते समय जोन स्तर पर किया जावे।
3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मानचित्र अनुसार सड़क मार्गाधिकार उपरान्त 3226.15 वर्गमीटर भूमि शेष रहती है। अतः उक्तानुसार अथवा मौके पर उपलब्ध भूमि की सुनिश्चितता जोन स्तर पर किये जाने के उपरान्त मानचित्र जारी किया जावे।
4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।

6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 55 :- (28.07.2020) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम जोधपुर-दक्षिण के खसरा संख्या 1035/740/4 रकबा 04.18.18 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।
आवेदक :- श्री मनीष झंवर पुत्र श्री जुगलकिशोर।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि को खसरा संख्या 1035/740 में से भूमि समर्पण कर 60 फीट पहुँच मार्ग उपलब्ध हो रहा है। प्राधिकरण द्वारा पूर्व में 80 फीट मार्गाधिकार रखते हुए पट्टे जारी किये गये हैं। अतः तदनुसार आवेदित भूमि के सामने स्थित सड़क का मार्गाधिकार 80 फीट रखा जावे। उक्त सड़क मार्गाधिकार हेतु मौके पर स्थित सड़क की मध्य रेखा से 40 फीट (गहराई तक) भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे। साथ ही मानचित्र जारी करने से पूर्व 80 फीट सड़क से कम मार्गाधिकार पर कोई कमिटमेन्ट नहीं किया गया हो की सुनिश्चितता जोन स्तर से किये जाने के उपरांत ही मानचित्र जारी किये जावे।
2. केवल Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय की जावे जिसका अंकन पट्टा विलेख जारी करते समय जोन स्तर पर किया जावे।
3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मानचित्र अनुसार सड़क मार्गाधिकार उपरान्त 8004.61 वर्गमीटर भूमि शेष रहती है। अतः उक्तानुसार अथवा मौके पर उपलब्ध भूमि की सुनिश्चितता जोन स्तर पर किये जाने के उपरांत मानचित्र जारी किया जावे।
4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है० से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।
7. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि पर मौके पर बिना स्वीकृति निर्माण किया गया है। मौके पर किये गये निर्माण के संबंध में प्रार्थी से विस्तृत भवन मानचित्र प्राप्त कर कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा मौका रिपोर्ट करवाने के उपरान्त बिना स्वीकृति के किये गये निर्माण के संबंध में राज्य सरकार के आदेश दिनांक 03.07.2020 अनुसार कार्यवाही करते हुये नियमानुसार राशि वसूल की जावे।

एजेण्डा संख्या 56 :- (28.07.2020) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 128/17, 128/1, 128/20 रकबा 02.00.00 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।
आवेदक :- श्री राजेन्द्र पुत्र श्री बालाराम, श्रीमती जसोदा पत्नि श्री राजेन्द्र।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि को 80 फीट पहुँच मार्ग सुनिश्चित किया जावे। उक्त सड़क मार्गाधिकार हेतु मौके पर स्थित सड़क की मध्य रेखा से 40 फीट (गहराई तक) भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
2. केवल Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय की जावे जिसका अंकन पट्टा विलेख जारी करते समय जोन स्तर पर किया जावे।

3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मानचित्र अनुसार सड़क मार्गाधिकार उपरान्त 3237.49 वर्गमीटर भूमि शेष रहती है। अतः उक्तानुसार अथवा मौके पर उपलब्ध भूमि की सुनिश्चितता जोन स्तर पर किये जाने के उपरांत मानचित्र जारी किया जावे।
4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 57 :- (28.07.2020) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 128/23, 128/25, 128/33 रकबा 01.05.02 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।
आवेदक :- श्री संजय कुमार पुत्र श्री चन्द्रभान व श्री चन्द्रशेखर पुत्र श्री नरसिंह।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि को 80 फीट पहुँच मार्ग सुनिश्चित किया जावे। उक्त सड़क मार्गाधिकार हेतु मौके पर स्थित सड़क की मध्य रेखा से 40 फीट (गहराई तक) भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
2. केवल Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय की जावे जिसका अंकन पट्टा विलेख जारी करते समय जोन स्तर पर किया जावे।
3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मानचित्र अनुसार सड़क मार्गाधिकार उपरान्त 2031.51 वर्गमीटर भूमि शेष रहती है। अतः उक्तानुसार अथवा मौके पर उपलब्ध भूमि की सुनिश्चितता जोन स्तर पर किये जाने के उपरांत मानचित्र जारी किया जावे।
4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 58 :- (28.07.2020) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 128/6, 128/26 रकबा 01.05.01 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।
आवेदक :- श्री चन्द्रशेखर पुत्र श्री नरसिंह।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि को 80 फीट पहुँच मार्ग सुनिश्चित किया जावे। उक्त सड़क मार्गाधिकार हेतु मौके पर स्थित सड़क की मध्य रेखा से 40 फीट (गहराई तक) भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
2. केवल Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय की जावे जिसका अंकन पट्टा विलेख जारी करते समय जोन स्तर पर किया जावे।

3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मानचित्र अनुसार सड़क मार्गाधिकार उपरान्त 2027.24 वर्गमीटर भूमि शेष रहती है। अतः उक्तानुसार अथवा मौके पर उपलब्ध भूमि की सुनिश्चितता जोन स्तर पर किये जाने के उपरांत मानचित्र जारी किया जावे।
4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 59 :- (28.07.2020) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 129/39 रकबा 01.06.10 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।

आवेदक :- श्री इन्साफ अली पुत्र श्री एहसान अली।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि को 80 फीट पहुँच मार्ग सुनिश्चित किया जावे। उक्त सड़क मार्गाधिकार हेतु मौके पर स्थित सड़क की मध्य रेखा से 40 फीट (गहराई तक) भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
2. केवल Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय की जावे जिसका अंकन पट्टा विलेख जारी करते समय जोन स्तर पर किया जावे।
3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मानचित्र अनुसार सड़क मार्गाधिकार उपरान्त 2144.76 वर्गमीटर भूमि शेष रहती है। अतः उक्तानुसार अथवा मौके पर उपलब्ध भूमि की सुनिश्चितता जोन स्तर पर किये जाने के उपरांत मानचित्र जारी किया जावे।
4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 60 :- (28.07.2020) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 129/40, 129/45 कुल रकबा 01.03.02 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।

आवेदक :- श्रीमती रेणु माहेश्वरी पत्नि श्री दीपक।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि को 80 फीट पहुँच मार्ग सुनिश्चित किया जावे। उक्त सड़क मार्गाधिकार हेतु मौके पर स्थित सड़क की मध्य रेखा से 40 फीट (गहराई तक) भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
2. केवल Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय की जावे जिसका अंकन पट्टा विलेख जारी करते समय जोन स्तर पर किया जावे।

3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मानचित्र अनुसार सड़क मार्गाधिकार उपरान्त 1869.58 वर्गमीटर भूमि शेष रहती है। अतः उक्तानुसार अथवा मौके पर उपलब्ध भूमि की सुनिश्चितता जोन स्तर पर किये जाने के उपरांत मानचित्र जारी किया जावे।
4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 61 :- (28.07.2020) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 10/3 रकबा 01.03.00 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।

आवेदक :- श्री सुमेश बोराना पुत्र श्री मनीराम।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि बोरानाडा से सालावास मुख्य सड़क पर स्थित है, जिसका मार्गाधिकार मास्टर प्लान अनुसार 160 फीट रखा जावे। उक्त सड़क मार्गाधिकार हेतु मौके पर स्थित सड़क की मध्य रेखा से 80 फीट (गहराई तक) भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
2. केवल Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय की जावे जिसका अंकन पट्टा विलेख जारी करते समय जोन स्तर पर किया जावे।
3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मानचित्र अनुसार सड़क मार्गाधिकार उपरान्त 1387.87 वर्गमीटर भूमि शेष रहती है। अतः उक्तानुसार अथवा मौके पर उपलब्ध भूमि की सुनिश्चितता जोन स्तर पर किये जाने के उपरांत मानचित्र जारी किया जावे।
4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।
7. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि पर मौके पर बिना स्वीकृति निर्माण किया गया है। मौके पर किये गये निर्माण के संबंध में प्रार्थी से विस्तृत भवन मानचित्र प्राप्त कर कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा मौका रिपोर्ट करवाने के उपरान्त बिना स्वीकृति के किये गये निर्माण के संबंध में राज्य सरकार के आदेश दिनांक 03.07.2020 अनुसार कार्यवाही करते हुये नियमानुसार राशि वसूल की जावे।

एजेण्डा संख्या 62 :- (28.07.2020) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 129/41, 129/44 रकबा 01.03.06 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।

आवेदक :- श्री आनन्द भूतडा पुत्र श्री बदनारयण।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि को 80 फीट पहुँच मार्ग सुनिश्चित किया जावे। उक्त सड़क मार्गाधिकार हेतु मौके पर स्थित सड़क की मध्य रेखा से 40 फीट (गहराई तक) भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
2. केवल Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय की जावे जिसका अंकन पट्टा विलेख जारी करते समय जोन स्तर पर किया जावे।
3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मानचित्र अनुसार सड़क मार्गाधिकार उपरान्त 1885.75 वर्गमीटर भूमि शेष रहती है। अतः उक्तानुसार अथवा मौके पर उपलब्ध भूमि की सुनिश्चितता जोन स्तर पर किये जाने के उपरांत मानचित्र जारी किया जावे।
4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 63 :- (28.07.2020) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 129/58, 129/73, 129/74 रकबा 00.13.09 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।
आवेदक :- श्री जनाब वसीम अली अंसारी पुत्र श्री शौकत अली अंसारी।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि को 80 फीट पहुँच मार्ग सुनिश्चित किया जावे। उक्त सड़क मार्गाधिकार हेतु मौके पर स्थित सड़क की मध्य रेखा से 40 फीट (गहराई तक) भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
2. केवल Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय की जावे जिसका अंकन पट्टा विलेख जारी करते समय जोन स्तर पर किया जावे।
3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मानचित्र अनुसार सड़क मार्गाधिकार उपरान्त 1086.97 वर्गमीटर भूमि शेष रहती है। अतः उक्तानुसार अथवा मौके पर उपलब्ध भूमि की सुनिश्चितता जोन स्तर पर किये जाने के उपरांत मानचित्र जारी किया जावे।
4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 64 :- (28.07.2020) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 51/9 रकबा 09.07.00 बीघा में से 00.12.11 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।
आवेदक :- श्री नवलाराम पुत्र श्री भोमाराम।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि बोराणाडा से सालावास मुख्य सड़क पर स्थित है, जिसका मार्गाधिकार मास्टर प्लान अनुसार 160 फीट रखा जावें। उक्त सड़क मार्गाधिकार हेतु मौके पर स्थित सड़क की मध्य रेखा से 80 फीट (गहराई तक) भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावें।
2. केवल Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय की जावें जिसका अंकन पट्टा विलेख जारी करते समय जोन स्तर पर किया जावें।
3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मानचित्र अनुसार सड़क मार्गाधिकार उपरान्त 750.56 वर्गमीटर भूमि शेष रहती है। अतः उक्तानुसार अथवा मौके पर उपलब्ध भूमि की सुनिश्चितता जोन स्तर पर किये जाने के उपरांत मानचित्र जारी किया जावें।
4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 65 :- (28.07.2020) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 128/21, 128/24, 128/31, 128/36, 128/37, 128/41 रकबा 02.10.11 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।
आवेदक :- श्री राजूराम पुत्र श्री लक्ष्मणराम, श्रीमती जसोदा पत्नि श्री राजेन्द्र, श्री राजेन्द्र पुत्र श्री बालाराम एवं श्री संजय कुमार पुत्र श्री चन्द्रभान।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि को 80 फीट पहुँच मार्ग सुनिश्चित किया जावें। उक्त सड़क मार्गाधिकार हेतु मौके पर स्थित सड़क की मध्य रेखा से 40 फीट (गहराई तक) भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावें। केवल Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय की जावें जिसका अंकन पट्टा विलेख जारी करते समय जोन स्तर पर किया जावें।
2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मानचित्र अनुसार सड़क मार्गाधिकार उपरान्त 4091.16 वर्गमीटर भूमि शेष रहती है। अतः उक्तानुसार अथवा मौके पर उपलब्ध भूमि की सुनिश्चितता जोन स्तर पर किये जाने के उपरांत मानचित्र जारी किया जावें।
3. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावें अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।
4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 66 :- (28.07.2020) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 128/6, 128/9 रकबा 01.02.10 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।
आवेदक :- श्री चन्द्रशेखर पुत्र श्री नरसिंह एवं श्री संजय कुमार पुत्र श्री चन्द्रभान।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि को 80 फीट पहुँच मार्ग सुनिश्चित किया जावे। उक्त सड़क मार्गाधिकार हेतु मौके पर स्थित सड़क की मध्य रेखा से 40 फीट (गहराई तक) भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
2. केवल Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय की जावे जिसका अंकन पट्टा विलेख जारी करते समय जोन स्तर पर किया जावे।
3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मानचित्र अनुसार सड़क मार्गाधिकार उपरान्त 1821.09 वर्गमीटर भूमि शेष रहती है। अतः उक्तानुसार अथवा मौके पर उपलब्ध भूमि की सुनिश्चितता जोन स्तर पर किये जाने के उपरांत मानचित्र जारी किया जावे।
4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 67 :- (28.07.2020) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 25/55 रकबा 00.18.00 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड अनुमोदन बाबत।
आवेदक :- श्रीमती सुनिता पत्नि श्री मानाराम।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि के सामने स्थित मार्ग को 60 फीट रखते हुए प्राधिकरण द्वारा पूर्व में खसरा संख्या 25/10 व 25/26 के मानचित्र अनुमोदित किये गये हैं। तदनुसार आवेदित भूमि के सामने स्थित सड़क का मार्गाधिकार 60 फीट रखा जावे। उक्त सड़क मार्गाधिकार हेतु मौके पर स्थित सड़क की मध्य रेखा से 30 फीट (गहराई तक) भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
2. केवल Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय की जावे जिसका अंकन पट्टा विलेख जारी करते समय जोन स्तर पर किया जावे।
3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मानचित्र अनुसार सड़क मार्गाधिकार उपरान्त 1214.56 वर्गमीटर भूमि शेष रहती है। अतः उक्तानुसार अथवा मौके पर उपलब्ध भूमि की सुनिश्चितता जोन स्तर पर किये जाने के उपरांत मानचित्र जारी किया जावे।
4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 68 :- (28.07.2020) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 249 रकबा 39.12.00 बीघा में से 19.19.00 बीघा के औद्योगिक योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।
आवेदक :- श्री ढलाराम पुत्र श्री रूपाराम मेघवाल।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि के पूर्व दिशा में 60 फीट पहुंच मार्ग पर पूर्व में कार्यालय द्वारा पट्टा विलेख जारी किये जा चुके हैं तथा आवेदित भूमि के पश्चिम दिशा में भी 60 फीट सड़क मार्गाधिकार उपलब्ध हो रहा है। तदनुसार आवेदित भूमि के सामने स्थित सड़क का मार्गाधिकार 60 फीट रखा जावे। उक्त सड़क मार्गाधिकार हेतु मौके पर स्थित सड़क की मध्य रेखा से 30 फीट (गहराई तक) भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मानचित्र में 32324.48 वर्गमीटर पर योजना प्रस्तावित की गई है परंतु जमाबंदी अनुसार आवेदित भूमि का क्षेत्रफल 32293.95 वर्गमीटर प्राप्त होता है। उक्त अतिरिक्त भूमि प्रार्थी को आवंटन के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही जोन उपायुक्त द्वारा की जावे।
3. केवल Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय की जावे जिसका अंकन पट्टा विलेख जारी करते समय जोन स्तर पर किया जावे।
4. नियमानुसार ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. भूखण्ड प्रस्तावित कर तदनुसार संशोधित मानचित्र प्राप्त किया जावे।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 69 :- (28.07.2020) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम बासनी चौहान के खसरा संख्या 15 पट्टा सुदा एकल भूखण्ड क्षेत्रफल 3387.22 वर्गमीटर के उपविभाजन कर योजना ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।
आवेदक :- श्री कुशाग्र शर्मा, श्री आदर्श शर्मा, श्री शाश्वत शर्मा पुत्रान् श्री बिहारीलाल।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. योजना में आन्तरिक विकास हेतु मानदण्डो एवम् नियमों की पालना राजस्थान टाउनशिप पोलिसी 2010 के प्रावधान के तहत सुनिश्चित किया जावे। नियमानुसार उपविभाजन शुल्क एवं अन्य देय शुल्क जमा करवाये जावे।
2. मौके पर अग्र भाग में टीन शेड तथा टॉयलेट ब्लॉक का निर्माण हो रखा है जिसको हटाया जाकर मानचित्र जारी किया जावे।
3. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने हैं जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।
4. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावे।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही अग्रिम कार्यवाही की जावे।

एजेण्डा संख्या 70 :- (28.07.2020) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम तनावडा के खसरा संख्या 65/2, 65/3, 66/3 रकबा 08.00.00 बीघा के आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।
आवेदक :- श्रीमती चुकीदेवी पत्नि श्री ओमप्रकाश सरगरा एवं श्री नत्थुराम पुत्र श्री उदाराम मेघवाल।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि को उत्तर-पूर्व दिशा में 100 फीट मुख्य तनावडा डामर सड़क से पहुँच मार्ग सुनिश्चित किया जावे। साथ ही आवेदित भूमि के दक्षिण-पश्चिम दिशा में स्थित कटाण मार्ग का मार्गाधिकार प्रस्तुत मानचित्र अनुसार 100 फीट रखा जावे। उक्त दक्षिण-पश्चिम दिशा में स्थित कटाण मार्ग हेतु सड़क के मध्य बिन्दू से आवेदित भूमि की दूरी बाबत् टिप्पणी प्राप्त की जावे। उक्त दोनों सड़क मार्गाधिकारों हेतु मौके पर स्थित सड़क की मध्य रेखा से 50 फीट (गहराई तक) भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
2. आवेदित भूमि के दक्षिण दिशा में प्रस्तावित 30 फीट सड़क का कुछ भाग किसी अन्य खातेदारी भूमि में स्थित है जिसके संबंध में जोन से प्राप्त टिप्पणी अनुसार दक्षिण दिशा में चल रहा 30 फीट चौड़ा रास्ता आवेदित भूमि के पास स्थित आबादी भूमि में से चल रहा है जो आवेदित भूमि में दर्शाये गये रास्ते को जोड़ता है। जोन द्वारा की गई टिप्पणी को समिति द्वारा स्वीकार करते हुए आगामी कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
3. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि में एक मंदिर, एक कमरा, टीनशेड बना हुआ है। उक्त को हटाये जाने के संबंध में आवेदक द्वारा शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है, जिसकी सुनिश्चितता मानचित्र जारी करने से पूर्व जोन स्तर से की जावे।
4. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने हैं जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।
5. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावे।
6. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।

एजेण्डा संख्या 71 :- (28.07.2020) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 349, 350 रकबा 03.00.00 बीघा एवम् समर्पणसुदा आवासीय भूखण्ड क्षेत्रफल 266.66 वर्गगज के आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।
आवेदक :- श्री बाबूराम पुत्र श्री रेवतराम, श्रीमती पानी देवी पत्नि श्री रेवतराम, श्री सुरेश पुत्र श्री रेवतराम, आशीर्वाद होम इन्फ्रा।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. जोन चैकलिस्ट अनुसार प्राधिकरण द्वारा पूर्व में खसरा संख्या 350 पर अनुमोदित योजना के भूखण्ड संख्या 08 व 09 को प्रार्थी द्वारा 40 फीट पहुँच मार्ग हेतु प्राधिकरण हक में समर्पित करने हेतु समर्पणनामा प्रस्तुत किया है। अतः समर्पण से संबंधित दस्तावेजों का प्राधिकरण के पक्ष में म्यूटेशन होने के उपरांत तथा आयुक्त महोदय से पत्रावली पर अनुमोदन उपरांत ही ले-आउट प्लान जारी किये जाने की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे।
2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत ले-आउट प्लान में दर्शित भूखण्ड संख्या 23, 24 के स्थान पर 30 फीट सड़क प्रस्तावित की जावे।
3. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने हैं जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।
4. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावे।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ-पत्र लिया जावे कि

प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।

6. बिन्दु संख्या 1 व 2 की पूर्ति उपरान्त ले-आउट प्लान जारी किया जावे।

एजेण्डा संख्या 72 :- (28.07.2020) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 25/37 रकबा 01.01.10 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।

आवेदक :- श्रीमती भंवरीदेवी चाण्डक पत्नि श्री कैलाशचन्द्र।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि के सामने उत्तर दिशा में स्थित मार्ग को 80 फीट रखते हुए प्राधिकरण द्वारा पूर्व में खसरा संख्या 25/21 के मानचित्र अनुमोदित किये गये है। तदनुसार आवेदित भूमि के सामने उत्तर दिशा में स्थित सड़क का मार्गाधिकार 80 फीट रखा जावे। साथ ही आवेदित भूमि के पूर्व दिशा में स्थित सड़क का 60 फीट मार्गाधिकार रखा जावे। उक्त दोनों सड़क मार्गाधिकारों हेतु मौके पर स्थित सड़क की मध्य रेखा से क्रमशः 40 फीट व 30 फीट (गहराई तक) भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
2. केवल Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय की जावे जिसका अंकन पट्टा विलेख जारी करते समय जोन स्तर पर किया जावे।
3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मानचित्र अनुसार सड़क मार्गाधिकार उपरान्त 1740.78 वर्गमीटर भूमि शेष रहती है। अतः उक्तानुसार अथवा मौके पर उपलब्ध भूमि की सुनिश्चितता जोन स्तर पर किये जाने के उपरान्त मानचित्र जारी किया जावे।
4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है० से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 73 :- (28.07.2020) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम भाकरासनी के खसरा संख्या 01 रकबा 15.00.00 बीघा के आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।

आवेदक :- मैसर्स सनसिटी बिल्डहोम प्रा.लि. जरिये श्री राजेन्द्र मेहता पुत्र श्री हनवंतराज मेहता।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श आवेदित भूमि को प्राप्त पहुंच मार्ग की चौड़ाई के संबंध में जोन उपायुक्त व संबंधित उप नगर नियोजक को मौका निरीक्षण कर आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत ले-आउट प्लान में अत्यधिक जंक्शन प्रस्तावित किये गये हैं, जिसके क्रम में संशोधित ले-आउट प्लान प्राप्त किया जाकर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 74 :- (28.07.2020) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 25/38 रकबा 01.01.10 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।

आवेदक :- श्रीमती भंवरीदेवी चाण्डक पत्नि श्री कैलाशचन्द्र।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि के सामने उत्तर दिशा में स्थित मार्ग को 80 फीट रखते हुए प्राधिकरण द्वारा पूर्व में खसरा संख्या 25/21 के मानचित्र अनुमोदित किये गये हैं। तदनुसार आवेदित भूमि के सामने उत्तर दिशा में स्थित सड़क का मार्गाधिकार 80 फीट रखा जावे। साथ ही आवेदित भूमि के पश्चिम दिशा में स्थित सड़क का 60 फीट मार्गाधिकार रखा जावे। उक्त दोनों सड़क मार्गाधिकारों हेतु मौके पर स्थित सड़क की मध्य रेखा से क्रमशः 40 फीट व 30 फीट (गहराई तक) भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
2. केवल Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय की जावे जिसका अंकन पट्टा विलेख जारी करते समय जोन स्तर पर किया जावे।
3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मानचित्र अनुसार सड़क मार्गाधिकार उपरान्त 1740.78 वर्गमीटर भूमि शेष रहती है। अतः उक्तानुसार अथवा मौके पर उपलब्ध भूमि की सुनिश्चितता जोन स्तर पर किये जाने के उपरांत मानचित्र जारी किया जावे।
4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 75 :- (28.07.2020) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 25/36 रकबा 01.01.19 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।
आवेदक :- श्रीमती राजकुमारी गुप्ता पत्नि श्री संजय।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि के सामने उत्तर दिशा में स्थित मार्ग को 80 फीट रखते हुए प्राधिकरण द्वारा पूर्व में खसरा संख्या 25/21 के मानचित्र अनुमोदित किये गये हैं। तदनुसार आवेदित भूमि के सामने उत्तर दिशा में स्थित सड़क का मार्गाधिकार 80 फीट रखा जावे। साथ ही आवेदित भूमि के पूर्व दिशा में स्थित सड़क का 60 फीट मार्गाधिकार रखा जावे। उक्त दोनों सड़क मार्गाधिकारों हेतु मौके पर स्थित सड़क की मध्य रेखा से क्रमशः 40 फीट व 30 फीट (गहराई तक) भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
2. केवल Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय की जावे जिसका अंकन पट्टा विलेख जारी करते समय जोन स्तर पर किया जावे।
3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मानचित्र अनुसार सड़क मार्गाधिकार उपरान्त 1777.22 वर्गमीटर भूमि शेष रहती है। अतः उक्तानुसार अथवा मौके पर उपलब्ध भूमि की सुनिश्चितता जोन स्तर पर किये जाने के उपरांत मानचित्र जारी किया जावे।
4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।

6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 76 :- (28.07.2020) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम पाल के खसरा संख्या 291/7 रकबा 10.00.00 बीघा के आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।

आवेदक :- श्री लक्ष्मीनारायण देवडा पुत्र श्री कंवरलाल।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श प्रकरण में अतिरिक्त भूमि के परिप्रेक्ष्य में संपूर्ण जांच करने हेतु जोन उपायुक्त तथा संबंधित उप नगर नियोजक को निर्देशित किया जाकर प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 77 :- (28.07.2020) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम कुडी भगतासनी के खसरा संख्या 342 रकबा 01.03.00 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।

आवेदक :- मैसर्स जयश्री रियलकॉन प्रा. लि. जरिये श्री मंगलेश गट्टानी पुत्र श्री जयनारायण, श्री संजय बिड़ला पुत्र श्री गोवर्धन दास बिड़ला, श्री विमलप्रकाश बूब पुत्र श्री आसाराम जी बूब।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श आवेदित भूमि की किस्म (पेट्रोल पम्प) होने तथा प्रकरण के संबंध में राजस्व विभाग द्वारा जारी कार्यालय आदेश दिनांक 22.12.2007 व उप शासन सचिव के पत्र दिनांक 10.10.2007 के परिप्रेक्ष्य में संपूर्ण जांच करने हेतु जोन उपायुक्त को निर्देशित किया जाकर प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या 78 :- (28.07.2020) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम निम्बला के खसरा संख्या 69/6 रकबा 03.01.14 बीघा के हाउस होल्ड इण्डस्ट्रीज एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।

आवेदक :- श्री चैनाराम जांगिड पुत्र श्री सुरजाराम।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि मुख्य पाली रोड़ 200 फीट पर स्थित है जिसका मार्गाधिकार जोधपुर मास्टर डवलपमेंट प्लान-2031 (प्रारूप) अनुसार 200 फीट आरक्षित रखा जावे तथा सड़क मार्गाधिकार उपरान्त 100-100 फीट की वृक्षारोपण पट्टी आरक्षित की जावे। उक्त सड़क मार्गाधिकार हेतु मौके पर स्थित सड़क की मध्य रेखा से 100 फीट (गहराई तक) भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
2. आवेदक द्वारा हाउस होल्ड इण्डस्ट्रीज हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है, अतः संबंधित विभाग/ एजेन्सी से हाउस होल्ड इण्डस्ट्रीज बाबत रजिस्ट्रेशन संबंधी दस्तावेज उपलब्ध करवाने के उपरान्त जोन स्तर से पट्टा विलेख जारी किया जावे। साथ ही आवेदक स हाउस होल्ड इण्डस्ट्रीज हेतु डी.पी.आर प्राप्त की जावे।
3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मानचित्र अनुसार सड़क मार्गाधिकार उपरान्त 4439.66 वर्गमीटर भूमि शेष रहती है। अतः उक्तानुसार अथवा मौके पर उपलब्ध भूमि की सुनिश्चितता जोन स्तर पर किये जाने के उपरान्त मानचित्र जारी किया जावे।
4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।

6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 79 :- (28.07.2020) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम लूणी-जोधपुर के खसरा संख्या 834/1 रकबा 07.00.00 बीघा में से 01.00.00 बीघा के वेयर हाउस एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।
आवेदक :- श्रीमती जमना देवी पत्नि श्री देवाराम।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित भूमि लूणी-शिकारपुरा मुख्य सड़क पर स्थित है जिसका मार्गाधिकार जोधपुर मास्टर प्लान-2023 अनुसार 200 फीट आरक्षित रखा जावे तथा सड़क मार्गाधिकार उपरांत 100-100 फीट की वृक्षारोपण पट्टी आरक्षित की जावे। उक्त सड़क मार्गाधिकार हेतु मौके पर स्थित सड़क की मध्य रेखा से 100 फीट (गहराई तक) भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मानचित्र अनुसार सड़क मार्गाधिकार उपरान्त 1150.00 वर्गमीटर भूमि शेष रहती है। अतः उक्तानुसार अथवा मौके पर उपलब्ध भूमि की सुनिश्चितता जोन स्तर पर किये जाने के उपरांत मानचित्र जारी किया जावे।
3. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
4. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
5. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

एजेण्डा संख्या 80 :- (28.07.2020) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 77/10 रकबा 01.17.08 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।
आवेदक :- श्री ओमप्रकाश छाजेड पुत्र श्री ताराचन्द।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि को 80 फीट पहुँच मार्ग सुनिश्चित किया जावे। उक्त सड़क मार्गाधिकार हेतु मौके पर स्थित सड़क की मध्य रेखा से 40 फीट (गहराई तक) भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
2. केवल Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय की जावे जिसका अंकन पट्टा विलेख जारी करते समय जोन स्तर पर किया जावे।
3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मानचित्र अनुसार सड़क मार्गाधिकार उपरान्त 3027.04 वर्गमीटर भूमि शेष रहती है। अतः उक्तानुसार अथवा मौके पर उपलब्ध भूमि की सुनिश्चितता जोन स्तर पर किये जाने के उपरांत मानचित्र जारी किया जावे।
4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।

6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।
7. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि पर मौके पर बिना स्वीकृति निर्माण किया गया है। मौके पर किये गये निर्माण के प्रार्थी से विस्तृत भवन मानचित्र प्राप्त कर कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा मौका रिपोर्ट करवाने के उपरान्त बिना स्वीकृति के किये गये निर्माण के संबंध में राज्य सरकार के आदेश दिनांक 03.07.2020 अनुसार कार्यवाही करते हुये नियमानुसार राशि वसूल की जावे।

एजेण्डा संख्या 81 :- (28.07.2020) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 77/27 रकबा 01.14.00 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।

आवेदक :- श्री दिनेश छाजेड पुत्र श्री ताराचन्द।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि को 80 फीट पहुँच मार्ग सुनिश्चित किया जावे। उक्त सड़क मार्गाधिकार हेतु मौके पर स्थित सड़क की मध्य रेखा से 40 फीट (गहराई तक) भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
2. केवल Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय की जावे जिसका अंकन पट्टा विलेख जारी करते समय जोन स्तर पर किया जावे।
3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मानचित्र अनुसार सड़क मार्गाधिकार उपरान्त 2751.87 वर्गमीटर भूमि शेष रहती है। अतः उक्तानुसार अथवा मौके पर उपलब्ध भूमि की सुनिश्चितता जोन स्तर पर किये जाने के उपरान्त मानचित्र जारी किया जावे।
4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।
7. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि पर मौके पर बिना स्वीकृति निर्माण किया गया है। मौके पर किये गये निर्माण के प्रार्थी से विस्तृत भवन मानचित्र प्राप्त कर कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा मौका रिपोर्ट करवाने के उपरान्त बिना स्वीकृति के किये गये निर्माण के संबंध में राज्य सरकार के आदेश दिनांक 03.07.2020 अनुसार कार्यवाही करते हुये नियमानुसार राशि वसूल की जावे।

एजेण्डा संख्या 82 :- (28.07.2020) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 77/28 रकबा 01.16.00 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।

आवेदक :- श्री अशोक कुमार जैन पुत्र श्री ताराचन्द।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि को 80 फीट पहुँच मार्ग सुनिश्चित किया जावे। उक्त सड़क मार्गाधिकार हेतु मौके पर स्थित सड़क की मध्य रेखा से 40 फीट (गहराई तक) भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
2. केवल Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय की जावे जिसका अंकन पट्टा विलेख जारी करते समय जोन स्तर पर किया जावे।

3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मानचित्र अनुसार सड़क मार्गाधिकार उपरान्त 2913.73 वर्गमीटर भूमि शेष रहती है। अतः उक्तानुसार अथवा मौके पर उपलब्ध भूमि की सुनिश्चितता जोन स्तर पर किये जाने के उपरांत मानचित्र जारी किया जावे।
4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।
7. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि पर मौके पर बिना स्वीकृति निर्माण किया गया है। मौके पर किये गये निर्माण के प्रार्थी से विस्तृत भवन मानचित्र प्राप्त कर कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा मौका रिपोर्ट करवाने के उपरान्त बिना स्वीकृति के किये गये निर्माण के संबंध में राज्य सरकार के आदेश दिनांक 03.07.2020 अनुसार कार्यवाही करते हुये नियमानुसार राशि वसूल की जावे।

एजेण्डा संख्या 83 :- (28.07.2020) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 77/8 रकबा 01.17.14 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।
आवेदक :- श्री रमेश गुप्ता पुत्र श्री सत्यनारायण, श्री अशोक गुप्ता पुत्र श्री श्यामलाल।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि को 80 फीट पहुँच मार्ग सुनिश्चित किया जावे। उक्त सड़क मार्गाधिकार हेतु मौके पर स्थित सड़क की मध्य रेखा से 40 फीट (गहराई तक) भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
2. केवल Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय की जावे जिसका अंकन पट्टा विलेख जारी करते समय जोन स्तर पर किया जावे।
3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मानचित्र अनुसार सड़क मार्गाधिकार उपरान्त 3051.40 वर्गमीटर भूमि शेष रहती है। अतः उक्तानुसार अथवा मौके पर उपलब्ध भूमि की सुनिश्चितता जोन स्तर पर किये जाने के उपरांत मानचित्र जारी किया जावे।
4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।
7. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि पर मौके पर बिना स्वीकृति निर्माण किया गया है। मौके पर किये गये निर्माण के प्रार्थी से विस्तृत भवन मानचित्र प्राप्त कर कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा मौका रिपोर्ट करवाने के उपरान्त बिना स्वीकृति के किये गये निर्माण के संबंध में राज्य सरकार के आदेश दिनांक 03.07.2020 अनुसार कार्यवाही करते हुये नियमानुसार राशि वसूल की जावे।

एजेण्डा संख्या 84 :- (28.07.2020) जोन-दक्षिण

विषय :- राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 77/9 रकबा 01.18.01 बीघा के औद्योगिक एकल भूखण्ड प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत।
आवेदक :- श्री जगदम्बा स्टोन जरिये श्री मुकेश जांगिड, श्री सज्जन जांगिड।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि को 80 फीट पहुँच मार्ग सुनिश्चित किया जावे। उक्त सड़क मार्गाधिकार हेतु मौके पर स्थित सड़क की मध्य रेखा से 40 फीट (गहराई तक) भूमि प्रार्थी से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे एवं उक्त भूमि का नामान्तरण जोविप्रा के पक्ष में दर्ज होने के उपरान्त ही ले-आउट प्लान जारी किया जावे।
2. केवल Non-Obnoxious Industries अनुज्ञेय की जावे जिसका अंकन पट्टा विलेख जारी करते समय जोन स्तर पर किया जावे।
3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मानचित्र अनुसार सड़क मार्गाधिकार उपरान्त 3079.19 वर्गमीटर भूमि शेष रहती है। अतः उक्तानुसार अथवा मौके पर उपलब्ध भूमि की सुनिश्चितता जोन स्तर पर किये जाने के उपरान्त मानचित्र जारी किया जावे।
4. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 30.05.2016 व 22.11.2016 अनुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल पर नियमानुसार राशि ली जावे अथवा 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र का प्रावधान किया जावे।
5. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावे कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावे।
6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम के अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।
7. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि पर मौके पर बिना स्वीकृति निर्माण किया गया है। मौके पर किये गये निर्माण के प्रार्थी से विस्तृत भवन मानचित्र प्राप्त कर कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा मौका रिपोर्ट करवाने के उपरान्त बिना स्वीकृति के किये गये निर्माण के संबंध में राज्य सरकार के आदेश दिनांक 03.07.2020 अनुसार कार्यवाही करते हुये नियमानुसार राशि वसूल की जावे।

एजेण्डा संख्या 85 :- (28.07.2020) जोन-दक्षिण

विषय :- विवेक विहार व्यवसायिक योजना में 11 ब्लॉक (ए/100, जी1/160, जी1/100, जी, एच1/100, के1/40, एन1/100, एन/100, ओ1/100, ओ1/160, ओ) के योजना मानचित्र अनुमोदन बाबत।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विवेक विहार योजना जोधपुर विकास प्राधिकरण की अनुमोदित योजना है। उक्त योजना के विभिन्न सेक्टर में व्यवसायिक उपयोग हेतु ब्लॉक आरक्षित है। उक्त के कम में अभियांत्रिकी शाखा से प्राप्त 11 ब्लॉक ए/100, जी1/160, जी1/100, जी, एच1/100, के1/40, एन1/100, एन/100, ओ1/100, ओ1/160, ओ की मौका रिपोर्ट व विवेक विहार योजना अवाप्तसुदा भूमि आवंटन की लॉटरी में उल्लेखित नापों व भूखण्डों की संख्या के अनुसार व विवेक विहार योजना के अनुमोदित मानचित्र के आधार पर प्लानिंग कर मानचित्र तैयार किये गये है। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही ब्लॉक संख्या एच1/100, एन1/100, एन/100, ओ1/100 में लॉटरी लिस्ट अनुसार प्रस्तावित व्यवसायिक ब्लॉक का विवेक विहार अनुमोदित योजना में उपयोग आवासीय कम व्यावसायिक (मिश्रित उपयोग) प्रयोजनार्थ दर्शाया गया है, अतः उपरोक्त ब्लॉकस् का उपयोग व्यवसायिक प्रयोजनार्थ करते हुये व उक्त क्षेत्रफल के बराबर अन्य व्यवसायिक ब्लॉक में आवासीय प्रयोजनार्थ भूमि आरक्षित रखे जाने का निर्णय लिया गया। उक्तानुसार विवेक विहार योजना के अनुमोदित मानचित्र में अपेक्षित संशोधन किया जावे।

आयुक्त महोदय द्वारा धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई। उक्त कार्यवाही विवरण सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(ओ.पी. पारीक)

निदेशक आयोजना एवं सदस्य सचिव
भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

क्रमांक: F37(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2020/ 160-164
प्रतिलिपी :- निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

दिनांक:- 13/08/2020

1. वरिष्ठ निजी सहायक, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
3. निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
4. उपायुक्त (पूर्व/पश्चिम/उत्तर/दक्षिण), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ।
5. एसीपी श्री हेमराज को भेजकर लेख है कि इसे जो.वि.प्रा. की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।

(ओ.पी. पारीक)

निदेशक आयोजना एवं सदस्य सचिव
भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

परिशिष्ट-“1”

भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 03/2020 वीं बैठक दिनांक 28.07.2020 को आयुक्त महोदय, जोविप्रा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:-

- | | |
|---|------------|
| 1. श्री मेघराज सिंह रतनू, आयुक्त, जो.वि.प्रा., जोधपुर। | अध्यक्ष |
| 2. श्री हरभान मीणा, सचिव, जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 3. श्री लाडूराम विश्नोई, निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 4. श्री अनिल कुमार पुनिया, उपायुक्त (पूर्व) जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 5. श्री ओ.पी.विश्वनोई, उपायुक्त (पश्चिम) जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 6. श्रीमती पुष्पा हरवानी, उपायुक्त (उत्तर) जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 7. श्री राजेन्द्र सिंह चांदावत, उपायुक्त (दक्षिण) जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 8. श्री ओ.पी. पारीक, निदेशक (आयोजना), जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य सचिव |

निदेशक (आयोजना),

एवं सदस्य सचिव,

भवन मानचित्र समिति (एल.पी.)

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर